राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-28/2017/ 5386 दिनांकः 11-8-2017

-: आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत नायब तहसीलदार के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये रूपये 14660/- प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यार्थी पूर्व से राज्य सेवा में नियमित रूप से कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-1(2)एफडी/रूल/06 दिनांक 13.3.06, नोटिफिकेशन क्रमांक एफ-11(7)एफडी/रूल/08 दिनांक 12.9.08 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत नायब तहसीलदार पद की वेतन श्रृंखला 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड पे-4200 (ग्रेड पे-संख्या-12) में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु नियुक्त कर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

1- यह नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्याधीन है ।

2- उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील सं. 2049-2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010, याचिका संख्या 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लंबित सभी विभिन्न रिट याचिका/ विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में दायर डी0बी0 स्पेशल अपील रिट संख्या 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.17 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7815/17, 7825/17 8020/17, द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.7.17 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.5.17 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस0बी0सी0डब्ल्यु0 पी0 सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/ प्रकरणों (यथा एस.बी.सी.डब्ल्यु.नी. सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.5.17 के विरुद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस0एल0पी0 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। उक्त नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 11200/2010 के अध्यधीन रहेगी।

3- यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक

अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल रखी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

4- अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5- नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानो की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

6- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.7.16 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थी उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र उपस्थिति से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।

7- गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प. 15 (1) कार्मिक/ क-2/ 74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

8- राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात से नियुक्त है, के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

9- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)RULES /2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

10- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

11- इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में तीन बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

12- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

13- सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारां उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

14- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

15- जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई, अजमेर को प्रस्तुत करेंगे ।

16- अभ्यर्थी दिनांक 16.8.2017 को प्रातः 9.30 बजे तक निश्चित रूप से राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में उपस्थिति देवें तथा उपस्थिति तिथि ही उनकी संगत (कार्यग्रहण) तिथि होगी ।

17- उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

क्र. सं.	मेरिट नं.	रोल नं.	नाम मय पिता श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1	83	923275	अजीत पाल सिंह यादव/ महावीर सिंह यादव	30-06-1981	BC	प्रोविजनल
2	84	940518	आशिष जैन/ दिनेश चन्द जैन	08-07-1982	GE	–
3	92	911834	दिग्विजय सिंह शेखावत/ मदन सिंह शेखावत	04-07-1988	GE	प्रोविजनल
4	100	912270	प्रभजोत सिंह गिल/ सर्दूल सिंह गिल	19-03-1986	BC	–
5	102	919843	विश्व प्रकाश चारण/ पीथ दान चारण	20-08-1992	BC	–
6	105	911455	मांगी लाल/ पृथ्वीराज	11-07-1987	BC, RG	–
7	107	930368	रवि शेखर चौधरी/ तेजाराम चौधरी	22-10-1988	BC	–
8	113	920203	हरेन्द्र मूण्ड/ भंवर लाल मूण्ड	21-03-1988	BC	प्रोविजनल
9	116	915844	सन्दीप कुमार/ राजेन्द्र प्रसाद	08-12-1992	BC	–
10	119	919607	रणजीत सिंह विठू/ नाथू सिंह विठू	01-01-1990	BC, RG	–
11	126	903079	कैलाश ईनाणिया/ श्याम लाल	01-10-1988	BC	प्रोविजनल
12	143	926600	दिनेश कुमार साहू/ प्रेमाराम साहू	20-01-1990	BC	–
13	153	926736	अवनी गोदारा/ सुशील गोदारा	27-08-1988	GE,WE	प्रोविजनल
14	182	915102	मोनिका शर्मा/ विघाधर शर्मा	05-02-1992	GE,WE	–
15	203	941118	सुनिता सांखला/ राम सिंह सांखला	28-12-1988	GE,WE	–
16	207	910355	दिव्या चांवला/ जगदीश चांवला	18-02-1991	GE,WE	–

17	217	900860	निधि कोठारी/ महेन्द्र कोठारी	25-10-1989	GE,WE	–
18	228	920610	सुनिता/ शेरसिंह	23-01-1987	BC,WE	प्रोविजनल
19	285	941871	महीपाल कलाल/ नारायण लाल कलाल	13-04-1989	TSP-BC	–
20	296	900187	मयूर शर्मा/ संतोष शर्मा	15-08-1982	TSP-GE	–
21	333	916933	हेमन्त सिंह शेखावत/ भीम सिंह शेखावत	01-01-1971	GE, EX	प्रोविजनल
22	362	923417	मोनालिसा देथा/ पृथ्वी सिंह देथा	21-06-1991	BC,WE	–
23	555	935803	लोकेन्द्र मीना/ बाबू लाल मीना	22-12-1986	ST	–
24	680	905602	राजेन्द्र कुमार मीना/ शेर सिंह मीना	04-07-1987	ST	प्रोविजनल
25	879	900330	शिवजी राम बावरी/ बंशी राम	07-08-1991	SC, RG	–
26	992	927000	सुनील कुमार चौहान/ मुक्ति लाल चौहान	01-01-1990	SC	–
27	1037	932917	वीरेन्द्र सिंह शेखावत/ गुमान सिंह	01-07-1977	GE, EX	प्रोविजनल
28	1038	934079	प्रवीण कुमार चौधरी/ भंवर लाल चौधरी	03-10-1977	BC, EX	–
29	1041	905686	मदन सिंह/ नाहर सिंह	12-07-1979	GE, EX	–
30	1058	930164	राकेश कुमार/ पूनमाराम	31-03-1987	SC, RG	–
31	1121	924013	शिमला मीना/ पाँचूराम मीना	15-04-1987	SC,WE	–
32	1152	924764	डॉ0 सत्येन्द्र बसवाल/ सत्य स्वरुप बसवाल	02-03-1978	SC, RG	–
33	1187	925192	शिव सिंह शेखावत/ अर्जुन सिंह शेखावत	29-09-1983	GE, EX	प्रोविजनल
34	1223	923325	बृजेश कुमार सिंह/ चन्द्रपाल सिंह	14-08-1987	SC	प्रोविजनल
35	1242	941622	देवीलाल मीणा/ थावर चन्द मीणा	16-02-1980	TSP-ST-RG	–
36	1266	921836	रजनी मीणा/ भगवान सहाय मीणा	13-08-1990	ST, WE	–
37	1278	912817	धर्मेन्द्र जान्दू/ शिशुपाल सिंह जान्दू	15-04-1981	BC,BL, RG	–
38	1555	920863	वन्दना बाकोलिया/ छीतर मल बाकोलिया	15-08-1992	SC,WE	–
39	1583	925916	नीरू सिंह/ ताराचन्द	20-10-1990	SC,WE	–
40	2004	918198	कीर्ति भारद्वाज/ लक्ष्मी नारायण भारद्वाज	12-01-1975	GE,WE, WD,RG	–

प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण स्थान	कब से कब तक	अवधि
1	आधारभूत प्रशिक्षण (फाउडेंशनल ट्रेनिंग)	आर.आर.टी.आई., अजमेर	16.08.17 से 15.10.17 तक	2 माह
2	भू–प्रबंध प्रशिक्षण	भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर	16.10.17 से 15.11.17 तक	1 माह
3	संस्थागत प्रशिक्षण 1 Segregation of Data (अवधि 4 दिवस) 2–Cadastral Maping (अवधि 2 दिवस) 3–Modern Record Room (अवधि 2 दिवस)	आर.आर.टी.आई., अजमेर	16.11.17 से 15.02.18 तक	3 माह
4	कृषि प्रशिक्षण	आर.आर.टी.आई., अजमेर	16.02.18 से 02.03.18 तक	15 दिन
5	व्यावहारिक प्रशिक्षण (प्रेक्टिकल ट्रेनिंग)	तहसीलों में	03.03.18 से 02.05.18 तक	2 माह
6	परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा	आर.आर.टी.आई., अजमेर	03.05.18 से 17.5.18 तक	15 दिन

आदेशानुसार,

(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 5387–5435

दिनांकः 11-8-17

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।

2– शासन उप सचिव, कार्मिक (ए–4,अनु–2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प–9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांकः 03.8.2017 के क्रम में ।

3– प्रमुख राजस्व सचिव, राजस्व विभाग शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर ।

4– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

5– आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।

6– निदेशक, आर.आर.टी.आई., अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यार्थियों से उपस्थिति प्रतिवेदन तथा निर्धारित प्रपत्र में बंधक पत्र एवं आदेश में उल्लेखित अन्य पत्रादि आवश्यक रूप से प्राप्त करें ।

7– संबंधित अभ्यार्थी ....

<u>**स्पीड पोस्ट**</u> ....

8– निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर